इस्पात मंत्रालय

मांग संख्या 88

इस्पात मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		...	68.31	68.31	...	103.87	103.87	...	68.11	68.11
पूंजी		*11.00*	*2.00*	*13.00*	*18.00*	*2.00*	*20.00*	*15.00*	*2.00*	*17.00*
जोड़		**11.00**	**70.31**	**81.31**	**18.00**	**105.87**	**123.87**	**15.00**	**70.11**	**85.11**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	8.04	8.04	...	8.04	8.04	...	8.04	8.04
लौह और इस्पात उद्योग										
2 सरकारी उद्यमों को आयोजना- भिन्न ऋण										
2.01 बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीज	6852	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
3. सब्सिडी										
3.01 वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए जुटाए गए ऋणों के संबंध में हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लि. को सब्सिडी	2852	...	33.12	33.12	...	33.12	33.12	...	33.12	33.12
3.02 गारण्टी शुल्क माफ करने के लिए हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कन्सट्रक्शन लि. को सब्सिडी	2852	...	0.92	0.92	...	0.92	0.92	...	0.92	0.92
3.03 गारंटी फीस की माफी के लिए स्पंज आयरन इण्डिया लि. को सब्सिडी	2852	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	0.24	0.24
3.04 वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से लिए गए ऋणों के संबंध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण को ब्याज सब्सिडी	2852	...	18.60	18.60	...	54.16	54.16	...	18.60	18.60
3.05 वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से लिए गए ऋणों के संबंध में मैकान को ब्याज सहायता	2852	...	3.47	3.47	...	3.47	3.47	...	3.33	3.33
	Total	*...*	*56.41*	*56.41*	*...*	*91.97*	*91.97*	*...*	*56.21*	*56.21*
4. ऋण को बट्टे खाते डालना										
4.01 इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि.	2852	...	...	...	...	250.38	250.38	...	...	...
4.02 घटायें-घटाई गई प्राप्तियां	0852	...	...	...	...	-250.38	-250.38	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5. ब्याज को बट्टे खाते डालना										
5.01 भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी लि.	2852	...	...	...	...	701.72	701.72	...	...	...
5.02 घटायें-घटाई गई प्राप्तियां	0852	...	...	...	...	-701.72	-701.72	...	...	...
	निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. सरकारी उद्यमों में निवेश	4852	...	...	...	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00
	6852	11.00	...	11.00	11.00	...	11.00	8.00	...	8.00
	Total	*11.00*	*...*	*11.00*	*18.00*	*...*	*18.00*	*15.00*	*...*	*15.00*
7. अन्य कार्यक्रम	2852	...	3.86	3.86	...	3.86	3.86	...	3.86	3.86
कुल जोड़		***11.00***	***70.31***	***81.31***	***18.00***	***105.87***	***123.87***	***15.00***	***70.11***	***85.11***
ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
6.01 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	12852	...	600.00	600.00	...	425.00	425.00	...	650.00	650.00
6.02 राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	12852	...	227.00	227.00	...	99.00	99.00	...	300.00	300.00
6.03 स्पंज आयरन इंडिया लि.	12852	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	9.00	9.00
6.04 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.	12852	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00
6.05 भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.	12852	5.00	2.00	7.00	12.00	...	12.00	10.00	...	10.00
6.06 राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.	12852	...	481.55	481.55	...	212.43	212.43	...	321.90	321.90
6.07 कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लि.	12852	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	54.00	54.00
6.08 मैगनीज ओर इंडिया लि.	12852	...	26.75	26.75	...	20.41	20.41	...	20.00	20.00
6.09 बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज	12852	1.00	1.50	2.50	1.00	19.32	20.32	1.00	15.00	16.00
6.10 मैकान लि.	12852	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
6.11 एम एस टी सी लि.	12852	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00
6.12 फेरो स्क्रैप निगम लि.	12852	...	11.50	11.50	...	11.50	11.50	...	11.50	11.50
6.13 अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन	12852	...	60.00	60.00	...	9.00	9.00	...	60.00	60.00
जोड़		**11.00**	**1450.30**	**1461.30**	**18.00**	**836.66**	**854.66**	**15.00**	**1446.40**	**1461.40**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. लोहा और इस्पात	12852	11.00	1450.30	1461.30	18.00	836.66	854.66	15.00	1446.40	1461.40

1. **सचिवालय -** यह प्रावधान इस्पात मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिये है।

2. **सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को आयोजना-भिन्न ऋण :**

2.01 **बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज:** यह प्रावधान कंपनी के संसाधनों में अंतराल को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है।

3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सब्सिडियां:

(क) **हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड:**

3.01 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वी आर एस) के क्रियान्वयन के लिए बैंकों से जुटाए गए ऋणों पर ब्याज के भुगतान के लिए।

3.02 भारत सरकार द्वारा नकदी ऋण और बैंक गारंटी के लिए दी गई गारंटी के लिए गारंटी शुल्क की माफी के लिए।

3.03 भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि.: भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी के लिए गारंटी शुल्क की माफी के लिए।

3.04 भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड: स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए बैंकों से जुटाए गए ऋणों पर 50% ब्याज सब्सिडी की अदायगी के लिए।

3.05 मेकान लि. : वीआरएस के कार्यान्वयन के लिए कम्पनी द्वारा लिए गए ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज की अदायगी के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटी के लिए गारंटी शुल्क की माफी के लिए।

6. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश:** इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा विभिन्न कार्यशील पूंजी स्कीम कार्यान्वित करने के लिए इन उद्यमों को इक्विटी निवेश और ऋण के रूप में बजटीय सहायता दी जाती है।

6.01 **भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड:** इसके नियंत्रणाधीन बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर और सालेम स्टील प्लांट और दुर्गापुर में अलॉय स्टील संयंत्र छह मुख्य इस्पात संयंत्र हैं। इंडियन आयरन स्टील कम्पनी लिमिटेड (आई.आईएस.सी.ओ.) जिसके स्वामित्वाधीन बर्नपुर में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है और महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉसमेल्ट लिमिटेड, जो फेरो-मिश्रधातु का उत्पादन करने में लगी है, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की दो सहायक कंपनियां हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयंत्रों/एककों तथा इसकी सहायक कम्पनियों का आयोजनागत परिव्यय आन्तरिक तथा अतिरिक्त, बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

(i) **बोकारो इस्पात संयंत्र:** इसके अन्तर्गत आने वाली मुख्य स्कीमें हैं:- कोक अवन बैटरी नं0 5 का पुनर्निर्माण, आधुनिकीकरण योजना और अन्य चालू, पूरी, हुई, परिवर्धन/आशोधन/प्रतिस्थापन(एएमआर) स्कीम।

(ii) **भिलाई इस्पात संयंत्र:** इसके परिव्यय में सिन्टर संयत्र सं.III, लंबी रेल सुविधाओं, यूओई पाइप संयत्र की स्थापना, परिवर्धन/आशोधन/ प्रतिस्थापन स्कीमों पर होने वाला व्यय और समाप्त हुई स्कीमों की संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान शामिल है।

(iii) **राउरकेला इस्पात संयंत्र:** इस परिव्यय में ईआरडब्ल्यूपीपी का उन्नयन, कोक अवन बैटरी नं0 1 का पुनर्निर्माण, ब्लास्ट फर्नस सं.4 का उन्नयन, उत्पादन इकाइयों और अन्य चालू तथा एएमआर स्कीमों के लिए कच्ची सामग्री निवेशों की गुणवत्ता के सुधार सहित आधुनिकीकरण शामिल है।

(iv) **दुर्गापुर इस्पात संयत्र:** इसके परिव्यय के अधीन आने वाली मुख्य स्कीमें हैं: सीओबी-1 में दूसरी कोल चार्जिंग कार का प्रतिस्थापन और ब्लास्ट फर्नस सं.3 के उन्नयन का संस्थापन और अन्य व्यय पुराने और खराब उपस्करों के प्रतिस्थापन और प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता उत्पादों और विभिन्न इकाइयों की उत्पादकता में सुधार, ऊर्जा संरक्षण में सुधार, उत्पादन की लागत में कमी और वातावरण प्रदूषण में कमी करने के लिए है।

(v) **मिश्र धातु इस्पात संयंत्र:** परिव्यय में चालू योजनाओं के लिए व्यय और पूर्ण योजनाओं की संविदा समाप्ति के लिए शेष भुगतान शामिल है।

(vi) **सालेम इस्पात संयंत्र:** परिव्यय में जारी स्कीमों और पूर्ण स्कीमों की संविदा समाप्ति के लिए किया गया शेष भुगतान शामिल है।

(vii) **विश्वेसरिया लौह और इस्पात संयंत्र :** परिव्यय में जारी स्कीमों पर किया गया व्यय और पूर्ण योजनाओं की संविदा समाप्ति के लिए किया गया व्यय शामिल है।

(viii) **भारतीय लौह और इस्पात क. लि.:** प्रावधान स्लिट रोलिंग सुविधा की संस्थापना जैसी चालू योजनाओं, इस्को के पुनःस्थापना जैसी अस्वीकृत योजनाओं और कोयला-खानों और खानों सहित अन्य योजनाओं के लिए है।

(ix) **महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉस्मेल्ट लिमिटेड:** प्रावधान 4.2 मेगावाट कैप्टिव विद्युत संयंत्र और चालू तथा अन्य योजनाओं के लिए है।

6.02 **राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड:** यह पूर्व सोवियत संघ के तकनीकी व वित्तीय सहयोग से भारत में स्थापित किया गया तट पर बसा पहला कारखाना है। परियोजना की सभी इकाईयां जुलाई 1992 तक स्थापित की जा चुकी हैं। इस्पात संयंत्र की अन्तिम लागत 8529.13 करोड़ रुपए मंजूर की गई थी। परिव्यय कोक अवन बैटरी नं.4, प्राकृतिक गैस इंजैक्शन प्रणाली, इस्पात-अयस्क खनन अधिग्रहण और संवर्द्धन/संशोधन/प्रतिस्थापन योजनाओं के लिए किया गया है। प्रस्तावित परिव्यय कम्पनी के आन्तरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा।

6.03 **स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड:** स्पंज आयरन संयंत्र लम्प लौह अयस्क से स्पंज आयरन बनाने के लिए 100% गैस-कुकिंग कोयला उत्पादन की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता के लिए यूएनडीपी/यूएनआईजीओ की सहायता से स्थापित किया गया था। यह परिव्यय पुरानी मशीनों के संवर्धन/संशोधन/प्रतिस्थापन तथा टाउनशिप और अनुसंधान व विकास के लिए है । किसी बजटीय सहायता का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

6.04 **हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड:** यह कम्पनी आधुनिक इस्पात कारखाने और इस्पात क्षेत्र से बाहर की परियोजनाओं का सम्पूर्ण निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1964 में निगमित की गई थी । प्रावधान विभिन्न निर्माण स्थलों पर कार्य आरम्भ करने के लिए निर्माण उपस्करों की खरीद और मौजूदा उपस्कर/मशीनरी को सुधारने तथा संबंधित पूंजी व्यय के लिए है। कुल आयोजना परिव्यय बजटीय सहायता से पूरा किया जाना है।

6.05 **भारत रिफ्रेक्ट्रीज़ लिमिटेड(बी.आर.एल):** इसके नियंत्रण में चार एकक हैं: भंडारीदाह रिफ्रेक्ट्रीज़ संयंत्र, रांची रोड रिफ्रेक्टरी संयंत्र, भिलाई रिफ्रेक्ट्रीज़ संयंत्र तथा आई. एफ.आई.सी.ओ. रिफेक्ट्रीज संयंत्र । प्रावधान परिवर्द्धन, संशोधन एवं प्रतिस्थापन (ए.एम.आर.) योजनाओं के लिए किया गया है जिसके लिए व्यय कंपनी द्वारा और आंशिक रूप से बजटीय सहायता से पूरा किया जाना है।

6.06 **राष्ट्रीय खनिज विकास निगम(एन.एम.डी.सी.):** यह देश में अकेला लौह-अयस्क और हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह अनेक अन्य खनिजों जैसे डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैगनेसाइट, ग्रेफाइट, टंगस्टन और टिन आदि की खोज, विकास और दोहन में रत है। इसके अन्तर्गत एनडीएमसी लौह एवं इस्पात संयंत्र तथा बेलादिला डिपोजिट 10/11ए जैसी चल रही योजनाएंऔर नई स्कीमों जैसे कि वेलाडिला डिपोजिट कुमारस्वामी चरण 1 और 2 तथा एएमआर स्कीमों, नगरक्षेत्र, नए उत्पादों/मूल्यवर्धित के लिए अनुसंधान व विकास और भारत तथा विदेश में व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए प्रावधान किया गया है। सम्पूर्ण परिव्यय किसी बजटीय समर्थन के लिए प्रयत्न किए बिना आंतरिक और बजट-बाह्य स्रोतों से पूरा किया जा रहा है।

6.07 **कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड:** इसकी स्थापना मुख्य रूप से ईरान को निर्यात के लिए लौह कंसन्ट्रेट अयस्क उत्पादन करने के लिए की गई थी। लौह अयस्क कंसन्ट्रेट को लेने की ईरान की असमर्थता के फलस्वरूप करार के अनुसार, 3 मिलियन टन कंसन्ट्रेटों का प्रयोग करने के लिए एक पेलेट संयन्त्र मई 1981 में अनुमोदित किया गया था। 116.65 करोड़ रुपए की लागत पर कार्यान्वित परियोजना ने अप्रैल, 1987 में अपना वाणिज्यिक उत्पादन करना शुरु किया है। इसमें डक्टाइल आयरन स्पन पाइप परियोजना (संयुक्त उद्यम), हसन और मंगलौर के बीच रेल लाइन बिछाने में इक्विटी भागीदारी, रेल द्वारा इस्पात अयस्क की प्राप्ति के लिए आधार ढांचा विकास जैसी नई योजनाओं परिवर्धन/ संशोधन/प्रतिस्थापन योजनाओं और व्यवहार्यता अध्ययन के लिए प्रावधान किया गया है। कोई बजटीय सहायता मांगे बिना आंतरिक और बाह्य बजटीय संसाधनों से परिव्यय पूरा किया जा रहा है।

6.08 **मैंगनीज़ ओर इण्डिया लिमिटेड (एम.ओ.आई.एल.):** यह भारत सरकार और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाली कम्पनी है। यह देश में उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क की सबसे बड़ी उत्पादक कम्पनी है। इसमें बालाघाट खनन में एकीकृत बैनीफिकेशन संयंत्र और फेरो/सिलिको मैंगनीज संयत्र चरण II और इलेक्टोलिटिक मैंगनीज डाइऑक्साइट संयत्र(1200 टीपीए), एएमआर योजनाओं, अनुसंधान और विकास, टाउनशिप तथा व्यवहार्यता अध्ययन जैसी नई योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। कुल आयोजना परिव्यय को बिना किसी बजटीय सहायता के आंतरिक एवं बाह्य बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

6.09 **बर्ड ग्रुप आफ कम्पनीजः** सरकार द्वारा अक्तूबर, 1980 में अधिग्रहीत बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज मुख्यतः खनन और रिफ्रेक्टरी कार्यों में लगी हुई है। प्रावधान स्पंज लौह संयत्र/लौह शोधन संयत्र परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (ए.एम.आर.) योजनाओं, वनरोपण खर्चों और अयस्क आधारित उद्योगों के लिए किया गया है। परिव्यय आंशिक रूप से बजटीय सहायता के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।

6.10 **मैकान लिमिटेड :** यह आईएसओः 9001 के साथ मान्य, देश का प्रथम परामर्शदात्री और इंजीनियरी संगठन है। इस कंपनी ने न केवल बेसिक इंजीनियरी, विस्तृत इंजीनियरी, परियोजना प्रबंधन आदि के क्षेत्र में परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान की हैं बल्कि फैरस, गैर-फैरस, तेल और गैस, पैट्रोरसायन और अन्य सामान्य उद्योगों के डिजाइन और आपूर्ति में पर्याप्त विशेषज्ञता का भी विकास किया है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटरों की अधिप्राप्ति के लिए प्रावधान किया गया है। योजना परिव्यय का आंशिक वित्तपोषण बजटीय सहायता से किया जा रहा है।

6.11 **एम.एस.टी.सी. लि.:** यह कंपनी भारत सरकार का एक व्यापारिक प्रतिष्टान है जो लौह स्क्रैप और एकीकृत इस्पात संयत्रों में उत्पादन से उत्पन्न अन्य द्वितीयक सामग्रियों, के निपटान, दूसरे सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और सरकारी विभागों के अतिरिक्त स्टोर आदि के निपटान का कार्य करता है। कैनालाइजेशन समाप्त कर दिये जाने के पश्चात् कंपनी के पास कोई कैनालाइजड मद नहीं है तथा यह निजी क्षेत्र के साथ प्रतियोगिता के अन्तर्गत वास्तविक उपयोग कर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार स्क्रेप तथा अन्य वस्तुओं का आयात करती है। इसके अन्तर्गत बाड़ा (स्टॉकयाड) और भाण्डागार सुविधाओं की स्थापना के लिए व्यवस्था की गयी है। आयोजना परिव्ययय को कंपनी के आंतरिक और बाह्य बजट संसाधनों से पूरा किया जा रहा है।

6.12 **फैरो स्क्रेप निगम लि. (एफ.एस.एन.एल.):** एमएसटीसी लिमिटेड और मैसर्स हार्सको कारपोरेशन इंक, संयुक्त राज्य अमरीका एफएसएनएल के बीच पहले एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी अब एमएसटीसी लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी हो गई है जिसमें एमएसटीसी द्वारा मैसर्स हार्सको द्वारा धारित 40 प्रतिशत इक्विटी शेयर हैं। कम्पनी दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो और विशाखापत्तनम और डोल्वी में स्थित इस्पात संयंत्र के लौह-चूर्ण और कूड़ा-कर्कट से मिलने वाली कतरनों से पुनःप्राप्ति तथा उस का पुनः संसाधन करती है। ऐसे उपस्कर का नियमित प्रयोग करने के लिए, कंपनी को पुरानी मशीनरी/उपस्कर के परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापनों का आश्रय लेना पड़ा है। ऐसे उपस्करों के नियमित उपयोग के लिये कंपनी को पुरानी मशीनरी/उपस्कर में संशोधन/परिवर्धन और प्रतिस्थापन का भी सहारा लेना पड़ता है। एएमआर स्कीमों के लिए कुल योजना परिव्यय को कंपनी के आंतरिक और बाह्य बजट-संसाधनों से बिना बजटीय सहायता के पूरा किया जा रहा है।

6.13 **अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी (आरएण्डटी) मिशनः** आरएंडटी मिशन इस्पात संयंत्रों, शैक्षिक संस्थाओं और अनुसंधान प्रयोगशालाओं द्वारा किए जा रहे लौह ओर इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें अनुसंधान और विकास प्रस्तावों को वित्तपोषित करने का प्रावधान किया गया है और इसे इस्पात विकास निधि से पूरा किया जाना है।

7. **अन्य कार्यक्रमः** इसमें मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय, लौह और इस्पात विकास आयुक्त, कोलकाता पर होने वाला स्थापना व्यय और प्रख्यात धातु विज्ञानियों को वार्षिक रूप से दिए जाने वाले पुरस्कारों पर होने वाला व्यय शामिल है। लौह और इस्पात विकास आयुक्त का कार्यालय बन्द कर दिया गया है और कर्मचारियों को अनावश्यक सैल में स्थानान्तरित कर दिया गया है।